



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक- 11.06.2025

**थाना धामपुर पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस में अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही:-

दिनांक 10.06.2025 को शिवांश सिंह पुत्र स्व० श्री देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वाट्सएप्प के माध्यम से उपजिलाधिकारी, धामपुर को कॉल कर स्वयं को किसान संगठन का पदाधिकारी बताते हुए संगठन हेतु रूपयों की मांग की गई। थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए शिवांश सिंह उपरोक्त को धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवांश सिंह पुत्र स्व० श्री देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मटौरामान थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना धामपुर पुलिस टीम



**जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट— थाना नूरपुर**

**दिनांक 11.06.2025**

**थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 204 / 25 धारा 333 / 115(2) / 64(1) / 62 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 11.06.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.06.2025 को अभियुक्त दीपक पुत्र ओमप्रकाश निवासी फतेहाबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर पर आकर वादी की पत्नी के साथ मारपीट कर गलत काम करने का प्रयास किया। तहरीर के आधार थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 204 / 25 धारा 333 / 115(2) / 64(1) / 62 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



**कार्यवाही—**

आज दिनांक 11.06.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 204 / 25 धारा 333 / 115(2) / 64(1) / 62 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त दीपक पुत्र ओमप्रकाश निवासी फतेहाबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—**

1. दीपक पुत्र ओमप्रकाश निवासी फतेहाबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उपरोक्त—**

1. मु0अ0सं0 348 / 17 धारा 452 / 354 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2. मु0अ0सं0 204 / 25 धारा 333 / 115(2) / 64(1) / 62 बीएनएस थाना नूरपुर बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—**

1. उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2. म0उ0नि0 वर्षा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3. मुख्य आरक्षी 536 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।



## जनपद बिजनौर प्रेस नोट— थाना नगीना देहात

दिनांक 11.06.2025

**थाना नगीना देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 148/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।**

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 11.06.2025 को वादी श्री कुलदीप पुत्र सुरेशचन्द निवासी ग्राम रानीकोटा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 10.06.2025 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल (यूपी 20 सीबी 7982) को चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 148/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.सचिन कुमार पुत्र झडिया निवासी लक्खीवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 2.अरमान पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



### कार्यवाही—

आज दिनांक 11.06.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 148/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1.सचिन कुमार पुत्र झडिया निवासी लक्खीवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 2.अरमान पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता—

- 1.सचिन कुमार पुत्र झडिया निवासी लक्खीवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.अरमान पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1.उ0नि0 दीपक कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2.मुख्य आरक्षी 537 सुनील मलिक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 3.मुख्य आरक्षी 633 रविन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी 2020 विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर**  
**प्रेस नोट— थाना शिवालाकलां**

**दिनांक 11.06.2025**

**थाना शिवालाकलां पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1) / 351(3) / 352 / 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 07.06.2025 वादी श्री सन्दीप कुमार सैनी पुत्र हरज्ञान सिंह ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि 1. वीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह 2. राजवीर सिंह पुत्र तन्नू सिंह 3. खेम सिंह पुत्र तन्नू सिंह नि0गण ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई कुलदीप सैनी के साथ मारपीट व गाली-गलौच करते हुए एक राय होकर जान से मारने की नियत से कुलदीप के ऊपर पर कसले से वार किया, जिससे वादी के भाई को चोटे आयी व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



**कार्यवाही—**

आज दिनांक 11.06.2025 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त खेम सिंह पुत्र तन्नू सिंह निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—**

1. खेम सिंह पुत्र तन्नू सिंह निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त खेम सिंह उपरोक्त —**

1— मु0अ0सं0 80 / 25 धारा 109(1), 351(3), 352, 3(5) बीएनएस थाना शिवालाकलां बिजनौर

2— मु0अ0सं0 36 / 25 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

3— मु0अ0सं0 226 / 20 धारा 323, 324, 504 भादवि थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—**

1. उ0नि0 श्री मुकेश राजौरा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

2. मुख्य आरक्षी 425 सचिन राठी थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

3. मुख्य आरक्षी 725 सचिन थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।



**जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट— थाना मण्डावली**

**दिनांक 11.06.2025**

**थाना मण्डावली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 61/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 27.05.2025 को वादिनी ने थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त जैद अंसारी पुत्र मोहसीन निवासी ग्राम श्यामीवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 61/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।



**कार्यवाही—**

आज दिनांक 11.06.2025 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 61/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त जैद अंसारी पुत्र मोहसीन निवासी ग्राम श्यामीवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—**

1. जैद अंसारी पुत्र मोहसीन निवासी ग्राम श्यामीवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—**

- 1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी 2582 ब्रिजेश थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 11.06.2025

**थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 50/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 12.03.2025 को वादी ने थाना किरतपुर जनपद पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को निखिल पुत्र संदीप निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर मु0अ0सं0 50/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी । स्थानीय पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।



**कार्यवाही:-**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त निखिल पुत्र संदीप निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

निखिल पुत्र संदीप निवासी ग्राम इस्लामाबाद थाना बढापुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

- 1.उ0नि0 रोबिन कुमार थाना किरतपुर बिजनौर
- 2.का0 हे0का0 414 रुपक मलिक थाना किरतपुर बिजनौर
- 3.का0 1996 अंकुर राणा थाना किरतपुर बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 11.06.2025

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 144/2025 धारा  
109(1)/115(2)/352/118(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना में  
प्रयुक्त डण्डे सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.06.2025 को वादी शुभम कुमार पुत्र वीरभान सिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.अवनीत पुत्र राजीव सिंह 2.दिव्यांश सिंह पुत्र रावेन्द्र सिंह उर्फ काले 3. रावेन्द्र उर्फ काले पुत्र हरि सिंह 4. मिलन कुमार पुत्र संसार सिंह निवासी गण ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता वीरभान व चाचा संजीव कुमार के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो, गंडासे व दरांती से वार कर घायल कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/118(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही:-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अवनीत पुत्र राजीव सिंह उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त डण्डे सहित गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

**नोट –** उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रावेन्द्र उर्फ काले पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अवनीत पुत्र राजीव सिंह उर्फ बिल्लू निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

### बरामदगी:-

घटना में प्रयुक्त डण्डा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री सोहनलाल शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 151 उदयवीर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर